न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 46/2025/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 17.02.2025
अन्तर्गत धाराः रूल्स 154 पेट्रोलियम रूल्स 2002

उनवान

हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार उपक्रम जरिये अधिकृत अधिकारी, डी.जी. एम. रिटेल, कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बारां
2. जिला कलक्टर, बारां

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 23.06.2025

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, बारां के आदेश क्रमांक/एफ–7/न्याय/2022/1137 दिनांक 13.07.2022 के विरूद्ध अपील रूल्स 154 पेट्रोलियम रूल्स 2002 अन्तर्गत पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.07.2022 में विवेचित किया गया कि ग्राम सुसावन तहसील बारां, जिला बारां की आराजी ख0न0 150 में से 1050 वर्गमीटर पेट्रोल पम्प हेतु संपरिवर्तन भूमि पर कार्यालय के पत्रांक/3036–39 दिनांक 21.8.2019 से पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरशन लि० झालावाड़ को अनापत्ति जारी की गई थी। पेट्रोल पम्प (30X35 वर्ग मीटर) खसरा नम्बर 150 में उत्तरी पश्चिमी कोने पर 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार छोड़कर स्वीकृत था। परन्तु पेट्रोल पम्प उक्त खसरे में उत्तरी पूर्वी कोने पर निर्मित किया गया है। मास्टर प्लान अनुसार 30X35 वर्ग मीटर की वृक्षारोपण पटटी का निर्माण करना था, जो नहीं किया गया। यह मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन है। ख0न0 150 रकबा 0.56 है0 में से 1050 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पम्प हेतु) दी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

गई थी, लेकिन सड़क हेतु समर्पण रकबा नहीं दिया गया। उक्त स्थान पर पेट्रोल पम्प हेतु ख0न0 150 के पहले रोड़ के साथ राजकीय भूमि आती है। पेट्रोल पम्प पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त राजकीय भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। ड्राईंग में एक्लेरेशन एवं डिएक्लेरेशन लाइन दर्शाई गई है, जबकि मौके पर नहीं बनाई गई है। पम्प में प्रवेश व निकास पर उचित रेडियस का कर्व नहीं हैं। बफर स्ट्रिप ड्राईंग के अनुसार नहीं है। पम्प के पूरे केम्पस का ढलान सड़क की तरफ है, जिससे पूरे पम्प–प्रांगण का पानी सड़क पर आता है। कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ–4(5) राजस्व/2022/2847–50 दिनांक 19.04.2022 द्वारा गठित कमेटी द्वारा मौके पर की गई भूमि की पैमाईश के अनुसार सा.नि.वि. की 10 मीटर चौड़ाई में अवैध निर्माण पोल आदि लगा रखे है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का बिक्री अधिकारी, झालावाड बिक्री क्षेत्र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरशन लि० कोटा द्वारा उल्लंघन किया जाना वर्णित करते हुए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कमांक/3036–39 दिनांक 21.8.2019 को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 13.07.2022 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2022 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि तथा प्राकृतिक न्याय के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम सुसावन, तहसील बारां की खसरा नम्बर 150 की 1050 वर्गमीटर भूमि पर जिला कलक्टर बारां के अपने पत्र क्रमांक 3036–39 दिनांक 21.08.2019 से पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति पत्र अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया गया था। उस अनापत्ति पत्र को बिना अपीलार्थी को सूचित किये दिनांक 13.07.2022 को निरस्त कर दिया, यह आदेश बिना अपीलार्थी को सूचित किये तथा बिना जवाब देही का मौका दिये व बिना सुनवाई किये दिया है जो विधि के सर्वमान्य सिद्वान्तो के विपरीत है, जो शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दिनांक 04.07.2022 को नोटिस जारी कर दिनांक 11.07.2022 को जवाब पेश करने हेतु सूचित किया था, किन्तु उक्त सूचना–पत्र दिनांक 11.07.2022 तक मिला ही नहीं तथा दिनांक 13.07.2022 को अनापत्ति निरस्त कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी सूचना–पत्र दिनांक 11.07.2022 के पश्चात् मिलने पर अपीलार्थी ने दिनांक 18.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय को इस सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायालय ने दिनांक 19.07.2022 को पत्र द्वारा सूचित किया कि अनापत्ति निरस्त कर दी गई है तथा उसकी छायाप्रति भी दी, जिससे स्पष्ट हो गया कि निर्णय हो चुका है तथा कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में वर्णित आधार पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त नहीं किया जा सकती है तथा वर्णित आधार पेट्रोलियम रूल्स के नहीं है तथा अनापत्ति–पत्र जारी करने के पूर्व समस्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अनापत्ति जारी की गई थी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.07.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.07.2022 से अपीलार्थी के अनापत्ति–पत्र को बिना अपीलार्थी को सूचित किये निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दिनांक 04.07.2022 को नोटिस जारी कर दिनांक 11.07.2022 को जवाब पेश करने हेतु सूचित किया था, किन्तु उक्त सूचना–पत्र दिनांक 11.07.2022 तक मिला ही नहीं तथा दिनांक 13.07.2022 को अनापत्ति निरस्त कर दी गई। यदि पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी किया जाता तो अपीलार्थी के स्तर पर उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया जाना संभव था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में वर्णित आधार पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त नहीं किया जा सकती है तथा वर्णित आधार पेट्रोलियम रूल्स के नहीं है तथा अनापत्ति–पत्र जारी करने के पूर्व समस्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अनापत्ति जारी की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनापत्ति निरस्त करने के संबंध में अपने आदेश में उल्लेखित किया कि "पेट्रोलपम्प पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त राजकीय भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है", तो ऐसी स्थिति में रास्ता नहीं होने पर नियमानुसार सिवायचक भूमि में से रास्ता दिया जा सकता था तथा नियमानुसार राशि जमा करवायी जा सकती थी। जबकि प्रश्नगत आराजी का पेट्रोल पंप प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन पूर्व में ही हो चुका है तथा रास्ते का विषय उक्त संपरिवर्तन किये जाने से पूर्व ही देखा जाना चाहिए था। अपीलार्थी को प्रश्नगत आराजी का संपरिवर्तन किये जाने

के उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अनापत्ति जारी की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.07.2022 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होना प्रकट किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का बिक्री अधिकारी, झालावाड बिक्री क्षेत्र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरशन लि० कोटा द्वारा उल्लंघन किया जाना वर्णित करते हुए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कमांक/3036–39 दिनांक 21.8.2019 को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 13.07.2022 पारित किया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.07.2022 से अपीलार्थी के अनापत्ति–पत्र को बिना अपीलार्थी को सूचित किये निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में वर्णित आधार वर्णित आधार पेट्रोलियम रूल्स के नहीं है तथा अनापत्ति–पत्र जारी करने के पूर्व समस्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर तदनुार अनापत्ति जारी की गई है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनापत्ति निरस्त करने के संबंध में अपने आदेश में उल्लेखित किया कि "पेट्रोलपम्प पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त राजकीय भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है", तो ऐसी स्थिति में रास्ता नहीं होने पर नियमानुसार सिवायचक भूमि में से रास्ता दिया जा सकता था तथा नियमानुसार राशि जमा करवायी जा सकती थी। जबकि प्रश्नगत आराजी का पेट्रोल पंप प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन पूर्व में ही हो चुका है तथा रास्ते का विषय उक्त संपरिवर्तन किये जाने से पूर्व ही देखा जाना चाहिए था।

7. उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष "बारां शहर में शाहाबाद रोड़ स्थित पेट्रोल पम्प की नियम विरूद्ध दी गयी एन.ओ.सी. की जांच कर विड्रो करने बाबत" एक परिवाद दिनांक 04.05.2022 को प्राप्त होने के उपरांत जिला कलक्टर, बारां के द्वारा जांच कमेटी गठित की जाकर जांच करवायी गयी। इसके उपरांत पत्रांक पीए–II/2022/300 दिनांक 27.06.2022 से प्राप्त जांच रिपार्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय

दिनांक 13.07.2022 में मास्टर प्लान के प्रावधानों का उल्लंघन होना, ख0न0 150 रकबा 0.56 है0 में से 1050 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पम्प हेतु) दिये जाने के उपरांत सड़क हेतु समर्पण रकबा नहीं दिया जाना, उक्त स्थान पर पेट्रोल पम्प हेतु ख0न0 150 के पहले रोड़ के साथ राजकीय भूमि होने से पेट्रोल पम्प पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना तथा उक्त राजकीय भूमि पर भी अतिक्रमण किये जाना के तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत अनापत्ति निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रकट होता है कि उक्त अनापत्ति निरस्त किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिक्री अधिकारी झालावाड़ बिक्री क्षेत्र हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 कोटा को पत्रांक 1361 दिनांक 04.07.2022 से नोटिस जारी कर दिनांक 11.07.2022 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया तथा उक्त नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं होना उल्लेखित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनापत्ति निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.07.2022 नोटिस के संदर्भ में अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 18.07.2022 को जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया था। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 13.07.2022 को ही प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना प्रकट करते हुए तदनुसार कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से अपीलार्थी को सूचित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.07.2022 के नोटिस की अपीलार्थी को विधिवत तामील नहीं करवाया जाना स्पष्ट होता है। साथ ही अपने निर्णय दिनांक 13.07.2022 में रास्ते संबंधी तथ्य उठाये है, जबकि अपीलार्थी की प्रश्नगत आराजी का पूर्व में प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त, नगर परिषद बारां के द्वारा दिनांक 23.07.2018 को संपरिवर्तन की कार्यवाही की जा चुकी है। यहां यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.07.2022 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस.बी. सिविल रिट संख्या 10963/2022 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.04.2023 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट, अपीलार्थी के लिखित कथन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 को जारी एन.ओ.सी. का परीक्षणोपरांत जिला कलक्टर, बारां द्वारा पत्रांक 3036–39 दिनांक 21.08.2019 से कम्पनी को सशर्त जारी एन.ओ.सी. को निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं होने से पूर्व में जारी एन.ओ.सी. यथावत रखे जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश क्रमांक/एफ–7/न्याय/2023/ 2084 दिनांक 27.12.2023 से 27.12.2023 पारित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के

द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2022 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.04.2023 की पालना में आदेश दिनांक 27.12.2023 से निस्तारित/समाप्त करते हुए अपीलार्थी को पूर्व में जारी की गई अनापत्ति दिनांक 21.08.2019 को यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2022 में विवेचित तथ्य कि ख0न0 150 रकबा 0.56 है0 में से 1050 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोल पम्प हेतु) दिये जाने के उपरांत सड़क हेतु समर्पण रकबा नहीं दिया जाना, उक्त स्थान पर पेट्रोल पम्प हेतु ख0न0 150 के पहले रोड़ के साथ राजकीय भूमि होने से पेट्रोल पम्प पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना तथा उक्त राजकीय भूमि पर भी अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। चूंकि प्रकरण में संपरिर्वतन किये जाने की कार्यवाही पूर्व में ही की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2022 में उठाये गये रास्ते संबंधी तथ्यों के संदर्भ में प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में नियमों में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा